अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज एवं अध्यक्ष, पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट), उ0प्र0 की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 15.06.2017 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 15.06.2017 को अपराह्न सायं 4.00 बजे पूर्व निर्धारित एवं संसूचित एजेण्डे के अनुसार पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) की कार्यकारिणी समिति की तृतीय बैठक श्री चंचल कुमार तिवारी, पंचायती राज एवं अध्यक्ष, पंचायती राज इन्स्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग (प्रिट) की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित उनके कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रहीः—

क्र. सं.	नाम	पद व पता	'प्रिट' के पदाधिकारी
1	श्री चंचल कुमार तिवारी, आई0ए0एस0	अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज एवं अध्यक्ष 'प्रिट'	अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति
2	श्री राज मणि यादव	निदेशक, 'प्रिट'	उपाध्यक्ष
3	श्री केशव सिंह	मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, प0रा0	सदस्य
4	श्री एस0के0 पटेल	अपर निदेशक, पंचायती राज/ 'प्रिट'	सदस्य–सचिव
5	श्री अरविन्द कुमार ढाका	अपर निदेशक, नियोजन विभाग	सदस्य
6	श्री ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव	विशेष सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	श्री रमेश चन्द्र मिश्र	अनु0 सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	श्री गिरीश चन्द्र रजक	उप निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।	संयुक्त सचिव
9	श्री सुशील कुमार मौर्या	विशेष सचिव	सदस्य

अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, प्रिट की अनुमति से निदेशक, पंचायतीराज/उपाध्यक्ष 'प्रिट' द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी एवं क्रमशः एजेण्डावार चर्चा की गयी। माननीय कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत है:-

एजेण्डा	माननीय कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय
एजेण्डा बिन्दु-1: प्रिट की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 14-12-2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा गत बैठक दिनांक 14.12.2016 का कार्यवृत्त यथावत अनुमोदित किया गया।
एजेण्डा बिन्दु-2: प्रिट की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 14-12-2016 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति।	माननीय समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि गत् बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्पष्ट बिन्दुवार स्थिति अध्यक्ष प्रिट के समक्ष आगामी तीन दिवसो में प्रस्तुत की जाए।
एजेण्डा बिन्दु-3: प्रिट' के अन्तर्गत आयोजित किये जा चुके तीन समिति के सभापतियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु तीन दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण का कार्योत्तर अनुमोदन।	माननीय समिति संज्ञानित हुई तथा निदेशक प्रिट को शासनादेश के अनुसार कार्यवाही हेतु अधिकृत करते हुए यह निर्देश प्रदान किये गए कि जनपदों से ट्रेनिंग शिड्यूल प्राप्त करते हुए दिनांक 30.09.2017 तक प्रशिक्षण पूर्ण करा लिया जाए।
एजेण्डा बिन्दु-4: प्रिट' के अन्तर्गत ई-टेण्डर हेतु लॉग-इन आई0डी0 तथा पासवर्ड उपलब्ध होने के उपरान्त टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण किये जाने तक पूर्व में नामित पंचायत उद्योग सरोजनीनगर लखनऊ, के माध्यम से भोजन व्यवस्था कराया जाना।	माननीय समिति द्वारा अवगत होते हुए जुलाई 2017 तक कैंटीन की व्यवस्था वर्तमान तरीके से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्देशित किया गया कि अगस्त 2017 से टेण्डर प्रक्रिया पूरी करते हुए अगस्त 2017 से ई-टेण्डर के माध्यम से धनराशि व्यय की जाए।
एजेण्डा बिन्दु-5: 'प्रिट' के अन्तर्गत चार्टेड एकाउन्टेन्ट नामित करने के सम्बन्ध में समिति का अनुमोदन।	माननीय समिति द्वारा उक्तानुसार अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।
एजेण्डा बिन्दु-6: 'प्रिट' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु 'प्रिट' के वार्षिक ट्रेनिंग कैलेण्डर का अनुमोदन जिसमें स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा आर0जी0एस0ए0 योजना के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित है।	माननीय समिति द्वारा वार्षिक ट्रेनिंग कलेण्डर अनुमोदित किया गया तथा यह निर्देशित किया गया कि प्रिट के अतिरिक्त आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धित योजना /संस्था के माध्यम से की जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि एक ही ट्रेनिंग हेतु वित्तीय व्यवस्था का दोहराव न हो ।
एजेण्डा बिन्दु-7: 'प्रिट' के अन्तर्गत तात्कालिक व्यवस्थाओं के तहत अतिरिक्त पदों पर तैनाती किये जाने का अनुमोदन।	माननीय समिति द्वारा सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से 03 पदों पर की तैनाती का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह निर्देशित किया गया कि समिति द्वारा गत

	बैठक दिनांक 14.12.2016 में स्वीकृत तथा शासनादेश दिनांक 05.12.2016 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्ती कर लिये जाने के उपरान्त अतिरिक्त पदों की मांग से सम्बन्धित औचित्य पूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाए। 2.सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति से की जाने वाली नियुक्तियो हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।
<u>एजेण्डा बिन्दु–8</u>: 'प्रिट' के अन्तर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन का अनुमोदन।	मा0 समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त निर्णय लिया गया कि धनराशि रू0–1.00 करोड़ की सीमा तक प्राथमिकता के आधार पर व्यय हेतु निदेशक प्रिट को अधिकृत किया जाता है।
<u>एजेण्डा बिन्दु–09</u>: लैब की इंटरनेट क्षमता 10 एम0बी0पी0एस0 बढ़ाने के लिए अनुमोदन।	मा0 समिति द्वारा कम्प्यूटर लैब की इंटरनेट क्षमता 10 एम0बी0पी0एस0 से बढ़ाकर 20 एम0बी0पी0एस0 किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
<u>एजेण्डा बिन्दु–10</u>: प्रिट' के कार्यो के निस्तारण हेतु तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत दैनिक वेतन भोगियो से लिए गये कार्यो के मानदेय के भुगतान का अनुमोदन।	निदेशक, 'प्रिट' द्वारा यह प्रस्ताव वापस लिया गया, अतः कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।
<u>एजेण्डा बिन्दु–11</u>: निदेशक/उपाध्यक्ष, 'प्रिट', अपर निदेशक /सचिव, 'प्रिट' तथा प्रिट के कार्यालय पूल हेतु वाहन व्यवस्था आउटसोर्सिंग के आधार पर किये जाने का अनुमोदन।	मा0 समिति द्वारा निदेशक प्रिट हेतु 01 वाहन की व्यवस्था आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
<u>एजेण्डा बिन्दु–12</u>: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया है कि आगामी बैठकों में निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 को विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाए।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त हुई।

(एस0के0 पटेल)
अपर निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0 एवं
सदस्य–सचिव 'प्रिट'

(राजमणि यादव)
निदेशक/उपाध्यक्ष,
पंचायतीराज प्रशिक्षण
संस्थान, 'प्रिट'

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव
पंचायती राज, उ0प्र0 शासन
एवं अध्यक्ष, 'प्रिट'